संख्या-3/2017/1003/31-2017-65/2014टीसी

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त नोडल अधिकारी,
(संलग्न-1 सूची के अनुसार),
उत्तर प्रदेश।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः** **दिनांकः 02 अगस्त, 2017**

विषयः- शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु नवीन व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं उनके स्थलीय निरीक्षण तथा जन समस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनपदों के भ्रमण की नवीन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2- इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को संलग्नक-1 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित जनपद हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद का प्रत्येक माह अर्थात वर्ष में कुल 12 बार भ्रमण कर चिन्हित कार्यक्रमों की समीक्षा, विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण, कतिपय कार्यालयों का विस्तृत निरीक्षण एवं एक ग्राम का भ्रमण भी सम्पादित करेंगे।

3- जनपद की सभी प्रमुख परियोजनाओं, कार्यों, योजनाओं व प्राथमिकताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा इन योजनाओं का लाभ जनता को ससमय उपलब्ध कराए जाने हेतु नोडल अधिकारी जनपद एवं शासन के मध्य सेतु की भॉति कार्य करेगें। भ्रमण के दौरान जनता द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में जनपद एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक का समाधान तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करेगें। नोडल अधिकारी आवंटित जनपद के विकास में अहम भूमिका निभायेंगे।

4- यह व्यवस्था माह अगस्त, 2017 से प्रारम्भ होगी। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भ्रमण कार्यक्रम माह की 21 तारीख तक अवश्य सम्पन्न कर लिया जाये। इसी क्रम में नोडल अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सम्बन्धित जिलाधिकारी से विचार-विमर्श कर आगामी भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित करते हुए प्रस्तावित तिथि की सूचना एक सप्ताह में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को उपलब्ध करा देंगें।

5- भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि जनपद में समीक्षा, सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु कम से कम दो कार्य दिवस वास्तविक रूप से उपलब्ध हो सकें। भ्रमण कार्यक्रम के प्रथम कार्य दिवस के पूर्वान्ह में जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संलग्नक-2 में उल्लिखित कार्यक्रमों से संबंधित जनपदीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं की एक समीक्षा बैठक नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की जाये तथा उसका कार्यवृत्त भी तैयार कराया जाये।

6- बैठक समाप्ति के पश्चात् नोडल अधिकारी द्वारा विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं विशेष रूप से बड़ी लागत की कम से कम दो परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। उचित होगा कि उपर्युक्त बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान ही बड़ी लागत की कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं को चिन्हित कर लिया जाये, जिनका सत्यापन बैठक के पश्चात् किया जा सके। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता की समीक्षा भी अवश्य की जाये। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी अपने साथ जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभियन्ताओं की टीम साथ लेकर जायेंगे। उक्त टीम में उस विभाग के अभियन्ता शामिल नहीं किये जायेंगे, जिस विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया जाना हो, परन्तु उस विभाग के उत्तरदायी अधिकारी निरीक्षण के समय अवश्य उपस्थित रहेंगे।

7- भ्रमण कार्यक्रम के प्रथम दिवस के अपरान्ह में तथा द्वितीय कार्य दिवस के पूर्वान्ह में नोडल अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों के अतिरिक्त निम्नांकित चारों श्रेणियों में से एक-एक कार्यालयों का विस्तृत निरीक्षण भी किया जायेगा एवं उसकी विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी भी तैयार करायी जायेगी:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रेणी-1:- थाना

श्रेणी-2:- तहसील

श्रेणी-3:- जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

श्रेणी-4:-अन्य विभाग के जिलास्तरीय कार्यालय/स्थानीय निकाय/विकास खण्ड

8- भ्रमण के दूसरे दिन अपरान्ह में किसी एक ग्राम का निरीक्षण किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा इस ग्राम के सन्दर्भ में इस योजना में सम्मिलित समस्त कार्यक्रमों की प्रगति पुस्तिका तैयार कराकर नोडल अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक को ग्राम सभा की एक खुली बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के भौतिक कार्यों एवं लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त बैठक हेतु नियमानुसार ससमय सूचना जारी की जायेगी।

9- नोडल अधिकारी के जनपद भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ऐसी तहसील/विकास खण्ड का चयन कर लें, जिसमें सर्वाधिक योजनाएं कई वर्ष से लम्बित हैं। लम्बित परियोजनाओं में से अपूर्ण पेयजल योजनाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा पृथक से बना ली जाए। अपूर्ण पेयजल योजनाओं का नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण अवश्य किया जाए और देखा जाए कि ये परियोजनाएं अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुई हैं ? कार्य में शिथिलता पाए जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

10- ग्राम में निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उस ग्राम से सम्बन्धित उन समस्त शिकायतों का विवरण एवं निस्तारण आख्या नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जो पिछले एक वर्ष की अवधि में आयोजित तहसील दिवसों में प्राप्त हुई हो। नोडल अधिकारी द्वारा इन शिकायतों के निस्तारण की सत्यता की रेण्डम आधार पर पुष्टि की जायेगी तथा उसका उल्लेख अपनी निरीक्षण टिप्पणी में अवश्य किया जायेगा।

11- नोडल अधिकारी के जनपद भ्रमण के दौरान प्रवास, वाहन, सुरक्षा एवं वांछित लिपिकीय सहयोग आदि की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी।

12- गंगा के किनारे स्थित जनपदों के भ्रमण के दौरान सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 का विशेष ध्यान देकर निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ओ0डी0एफ0 के मापदंडो का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं।

13- नोडल अधिकारी द्वारा संलग्नक-2 में उल्लिखित एजेण्डा बिन्दुओं के साथ संलग्नक-1 में उनके नाम के सम्मुख कालम-5 में अंकित उल्लेखनीय बिन्दु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

PTR/DOR/AHS/UPH (PTR-Pupil Teacher Ratio, DOR-Drop Out Rate At Elementary Level, AHS - Annual Health Survey (Composite Health Index), UPH - Unconnect PMGSY Habitat) की भी विस्तृत समीक्षा की जाए तथा इन बिन्दुओं का स्थलीय सत्यापन भी किया जाए।

14- नोडल अधिकारी द्वारा आंवटित जनपद का भ्रमण करने के पश्चात तैयार निरीक्षण आख्या को फीड किए जाने हेतु एन0आई0सी0 के माध्यम से डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। उक्त डैशबोर्ड के माध्यम से समस्त सम्बन्धित विभाग, जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त आदि निरीक्षण आख्या में अंकित अपेक्षित कार्यवाहियों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अधुनान्त स्थिति को अपलोड करेंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा किए गए जनपदों के निरीक्षण तथा कृत कार्यवाही का समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं समीक्षा की जाएगी।

15- निरीक्षण आख्या को डैशबोर्ड के माध्यम से अपलोड करने तथा उक्त के आधार पर अनुपालन कराने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का आदेश पृथक से निर्गत किया जाएगा।

16- नोडल अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्तमान पद से किसी अन्य स्थान/पद (मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी पद को छोड़कर) होने पर भी अधिकारी को आंवटित जनपद यथावत रहेगें।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या-3/2017/1003(1)/31-2017-65/2014टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2017/1003(2)/31-2017-65/2014टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

सत्यापन कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी व उनको आंवटित जनपदों की सूची

क्र0 सं0	नोडल अधिकारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान तैनाती	आवंटित जनपद	उल्लेखनीय बिन्दु
1	2	3	4	5
1	चंचल कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज	उन्नाव	AHS
2	हरि राज किशोर	अपर मुख्य सचिव, सहकारिता	लखनऊ	DOR
3	सदा कान्त	अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण	गाजियाबाद	
4	डा0 ललित वर्मा	सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद	मुरादाबाद	DOR/AHS
5	कुमार अरविन्द सिंह देव	महानिदेशक, राज्य प्रशासनिक एवं प्रबन्धक अकादमी	मेरठ	
6	संजय अग्रवाल	अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा	गोरखपुर	
7	शम्भू नाथ शुक्ला	अपर मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार	आगरा	DOR
8	नेपाल सिंह रवि	अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास	गौमतबुद्धनगर	
9	राजेन्द्र कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव, श्रम	महराजगंज	PTR/UPH
10	मो0 इफ्तेखारुद्दीन	अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	रायबरेली	DOR
11	डा0 अनीता भटनागर जैन	अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा	बाराबंकी	PTR/DOR/AHS
12	आलोक सिन्हा	प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	फतेहपुर	DOR
13	मुकुल सिंहल	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	कानपुर नगर	
14	कुमार कमलेश	प्रमुख सचिव, नगर विकास	बुलन्दशहर	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15	महेश कुमार गुप्ता	प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण	मिर्जापुर	PTR/AHS/UPH
16	श्रीमती रेणुका कुमार	प्रमुख सचिव, महिला कल्याण	बस्ती	AHS
17	देवाशीष पाण्डा	आयुक्त, निवेश एवं अपर स्थानिक आयुक्त	बागपत	
18	रमा रमण	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कानपुर नगर	कौशाम्बी	PTR/DOR
19	हेमन्त राव	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सहारनपुर	AHS
20	आलोक कुमार-प्रथम	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	आजमगढ़	
21	डा0 रजनीश दुबे	प्रमुख सचिव, राजस्व	वाराणसी	
22	नवनीत कुमार सहगल	प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग	फर्रूखाबाद	
23	मनोज कुमार सिंह	प्रमुख सचिव, नगर विकास	देवरिया	
24	श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई	खीरी	PTR/DOR/AHS
25	श्रीमती आराधना शुक्ला	प्रमुख सचिव, परिवहन	मुजफ्फरनगर	DOR/AHS
26	श्रीमती डिम्पल वर्मा	प्रमुख सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना	शाहजहाँपुर	PTR/DOR
27	डा0 प्रशान्त त्रिवेदी	प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	श्रावस्ती	PTR/DOR/AHS
28	मनोज सिंह	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	इटावा	DOR
29	अमित मोहन प्रसाद	सी0ई0ओ0, नोएडा	मथुरा	
30	सुरेश चन्द्रा	प्रमुख सचिव, सिंचाई	झांसी	
31	संजय आर0 भूसरेड्डी	प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	सोनभद्र	PTR/AHS
32	अनिल कुमार-	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं	संतरविदासनग	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	द्वितीय	मध्यम उद्यम		
33	हिमान्शु कुमार	प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन	इलाहाबाद	AHS
34	रजनीश गुप्ता	प्रमुख सचिव, कृषि	कुशीनगर	PTR/DOR/UPH
35	जितेन्द्र कुमार	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन	फिरोजाबाद	DOR
36	सुधीर महादेव बोबड़े	प्रमुख सचिव, पशुपालन	जौनपुर	PTR/DOR
37	श्रीमती अनीता सिंह	प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास	अमरोहा	DOR
38	सुधीर गर्ग	प्रमुख सचिव, उद्योन एवं खाद्य प्रसंस्करण	अलीगढ़	
39	कामरान रिजवी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन तथा पारेषण निगम	बलरामपुर	PTR/DOR/AHS
40	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद	सीतापुर	PTR/DOR
41	अनुराग श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	चन्दौली	PTR/AHS
42	श्रीमती लीना जौहरी	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद	हरदोई	DOR
43	अमित कुमार घोष	सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण	बिजनौर	DOR
44	पार्थ सारथी सेन शर्मा	आयुक्त, ग्राम्य विकास	मऊ	
45	भुवनेश कुमार	सचिव, व्यावसायिक शिक्षा	सुल्तानपुर	
46	संतोष कुमार यादव	सचिव, महिला कल्याण	हापुड़	
47	आमोद कुमार	सदस्य न्यायिक,राजस्व परिषद, इलाहाबाद	सम्भल	PTR/DOR
48	मुकेश कुमार मेश्राम	आयुक्त, वाणिज्यकर	बहराइच	DOR/AHS
49	धीरज साहू	आयुक्त, आवास	बदायूँ	PTR/AHS

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

50	श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम	सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार	फैजाबाद	PTR/AHS
51	श्रीमती वी0 हेकाली झीमोमी	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सन्तकबीरनगर	AHS
52	महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	सचिव, वित्त	सिद्धार्थनगर	PTR/DOR/AHS
53	डा0 हरिओम	सचिव, सामान्य प्रशासन	अम्बेडकरनगर	
54	श्रीमती कामिनी चैहान रतन	आई0जी0, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	अमेठी	PTR/AHS
55	आलोक कुमार-तृतीय	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	प्रतापगढ़	AHS
56	अजय कुमार सिंह	सचिव, खादी ग्रामोद्योग	हमीरपुर	PTR
57	अजय चैहान	आयुक्त, खाद्य एवं रसद	बलिया	
58	श्रीमती नीना शर्मा	सचिव, नियोजन	कानुपर देहात	
59	विशाल चैहान	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन	जालौन	PTR
60	पी0 गुरू प्रसाद	आयुक्त, परिवहन	गाजीपुर	PTR
61	प्रमांशु	सचिव, पंचायतीराज	महोबा	PTR
62	चन्द्र कान्त	सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग	एटा	AHS
63	रंजन कुमार	सचिव, राजस्व	रामपुर	PTR/DOR
64	अनुराग यादव	सचिव, संस्थागत वित्त	बॉदा	PTR/DOR
65	रणवीर प्रसाद	आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग	कासगंज	AHS
66	श्रीमती अलकनन्दा दयाल	सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	गोण्डा	PTR/DOR/AHS
67	सुधीर कुमार दीक्षित	सचिव, आयुष	बरेली	PTR/DOR/AHS
68	शशि भूषण लाल सुशील	सचिव, खाद्य एवं रसद	औरैया	
69	पंकज यादव	सचिव, लोक निर्माण	ललितपुर	PTR
70	शम्भू नाथ	सचिव, सिंचाई एवं जल	मैनपुरी	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		संसाधन		
71	अनूप कुमार यादव	निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण	हाथरस	
72	डा0 पिंकी जोवेल	विशेष सचिव, अल्प संख्यक कल्याण	पीलीभीत	**PTR/AHS**
73	डा0 राज शेखर	विशेष सचिव, लोक निर्माण	शामली	
74	डा0 बलकार सिंह	विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म	चित्रकूट	**PTR/DOR**
75	सुश्री निधि केसरवानी	विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कन्नौज	

PTR - PUPIL TEACHER RATIO
DOR - DROP OUT RATE AT ELEMENTARY LEVEL
AHS - ANNUAL HEALTH SURVEY (COMPOSITE HEALTH INDEX)
UPH - UNCONNECT PMGSY HABITAT

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

नोडल अधिकारियों के जनपद भ्रमण के दौरान समीक्षा बैठक/निरीक्षण हेतु एजेण्डा बिन्दु

1. (क) राज्य सरकार के प्राथमिकता बिन्दु

1. कानून-व्यवस्था (विशेष रूप से यू0पी0 100, 1090)

2. आई0जी0आर0एस0

3. तहसील दिवस/समाधान दिवस

4. कर करेत्तर राजस्व

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

(I) राशन कार्डो का सत्यापन

(II) आधार कार्ड से लिंकेज

(III) डी0बी0टी0

(IV) पी0ओ0एस0 मशीन लगाने की स्थिति

6. स्वच्छ भारत मिशन

7. रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति

8. कक्षा-8 तक सभी छात्रों को किताबे एवं यूनीफार्म का वितरण

9. ऋण माफी योजना- लाभार्थी का आधार कार्ड फीडिंग

10. ई-टेण्डरिंग के क्रियान्वयन की स्थिति

11. सड़कों के गढ्ढामुक्त/सड़कों के नवीनीकरण एवं मरम्मतीकरण /ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की स्थिति

12. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपाय

13. गन्ना किसानों को भुगतान

14. नमामि-गंगे परियोजना

15. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी)

16. वेक्टर जनित रोग (डेंगू/जे0ई0/ए0ई0एस0) नियन्त्रण कार्यक्रम

17. कौशल विकास मिशन

(ख) भारत सरकार की योजनाएं

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

3. एन0एच0एम0- वित्तीय संसाधनों का उपयोग एवं विभिन्न पदों के सापेक्ष भर्ती की स्थिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
6. अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी योजना
7. अटल पेंशन योजना
8. मनरेगा
9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
10. आई0सी0डी0एस0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।